बिहार सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) निदेशालय, बिहार
(समाज कल्याण विभाग)
हमारा बिहार
द्वितीय तल, इंदिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना–800001
फोन: +91-612-2520960, फैक्स:+91-612-2535900, website: www.icdsbih.gov.in

पत्रांक:- ICDS/45010/03-2017/........ 2227 दिनांक: 27/06/2017

प्रेषक,

निदेशक,
आई.सी.डी.एस.।

सेवा में,

सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ।

विषय: आई.सी.डी.एस. अंतर्गत महिला पर्यवेक्षिका एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता के ECCE प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत ECCE प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु भारत सरकार के पत्रांक 8-1/2014 दिनांक 13.01.2015 द्वारा Rollout Annual Contextualized Curriculum and Training on ECCE के कार्यान्वयन हेतु आई.सी.डी.एस. निदेशालय के पत्रांक 592, 593, दिनांक 20.02.2017 द्वारा राशि आवंटित कर दी गयी है । आवंटित राशि से ECCE प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत महिला पर्यवेक्षिकाओं एवं आंगनवाड़ी सेविकाओं का प्रशिक्षण दिया जाना है, जिसका दिशा-निर्देश आई.सी.डी.एस. निदेशालय के पत्रांक 1119 दिनांक 24.03.2017 के द्वारा (संलग्न) भेजा गया है।

उक्त दिशा-निर्देश के आलोक में निम्नलिखित निदेश दिया जाता है :-

1. निदेशालय के पत्रांक 592, 593 दिनांक 20.02.2017 के द्वारा आवंटित राशि से निकासी की गई राशि में से Level-1 (आँगनबाड़ी सेविका) के प्रशिक्षण हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई गई राशि की परियोजनावार विवरणी संलग्न प्रपत्र (ECCE/F-1) में भेजना सुनिश्चित करें।

2. अपने जिलान्तर्गत निर्धारित Level-2 - जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (DLMTs) का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं को नामित करना है, की कार्ययोजना संलग्न प्रपत्र (ECCE/P-2) में दिनांक 30.06.2017 तक प्रशिक्षण पदाधिकारी के ईमेल : tr.officer.icds@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें।

3. Level-2 के प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर संलग्न प्रपत्र (ECCE/R-2) में प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

23/6/17

निदेशक
आई.सी.डी.एस.

ज्ञापांक:- **ICDS/45010/03-2017/**........2227........दिनांक 27/06/2017

प्रतिलिपि:- सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि:- शिक्षा विशेषज्ञ, यूनिसेफ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि:- श्री समीर झा, कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम संस्था को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित ।

23/6/17

निदेशक
आई.सी.डी.एस.